सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 133/प्रा0पत्र/2023

दायरा दिनांक :–18.07.2023

GCMS ID–2023/68

1. लालू आ0 हरनाथ जाति गुर्जर निवासी अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहतं वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर

वकील अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 19/05/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 54 खसरा संख्या 75 रकबा 0.5261 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 78 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा संख्या 79 रकबा 4.7753 हैक्टेयर, खसरा संख्या 80 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 8.0938 हैक्टेयर वाके ग्राम खटावदा पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है, जिसमें प्रार्थी का 13/100 हिस्सा निहित है, प्रार्थी का नाम उक्त जमाबंदी में लालाराम आ0 हरनाथ दर्ज हो रहा है। प्रार्थी का नाम लालू आ0 हरनाथ है, जो प्रार्थी के सभी दस्तावेज में अंकित है, परन्तु प्रार्थी ने उक्त भूमि दिनांक 31.05.2002 को झब्बरसिंह पुत्र कमलसिंह जाति राजपूत निवासी खटावदा से क्रय की गई थी। जिसमें प्रार्थी का नाम लालू ही लिखवाया था परन्तु उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी में लालाराम के नाम खोल दिया गया है, उक्त इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पेशन प्रमाण पत्र आदि में प्रार्थी का नाम लालू अंकित है, लेकिन राजस्व की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में प्रार्थी का नाम लालाराम दर्ज कर दिया गया है जो अवैध व निरस्नीय योग्य है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर लालाराम के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email-sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

स्थान पर लादू दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थी उक्त गलत इन्द्राज को सही करवाने हेतु पटवारी साहब व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 25.06.2023 को इन्कार कर दिया यही वादउत्पति का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज प्रार्थी का नाम लालाराम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर लालू दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम लालू आ0 हरनाथ दर्ज करवावे। भूमि ग्राम खटावदा पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थिति होने से एंव श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 54 खसरा संख्या 75 रकबा 0.5261 हैक्टेयर, खसरा संख्या 76 रकबा 0.6475 हैक्टेयर, खसरा संख्या 77 रकबा 0.5666 हैक्टेयर, खसरा संख्या 78 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा संख्या 79 रकबा 4.7753 हैक्टेयर, खसरा संख्या 80 रकबा 0.3642 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 8.0938 हैक्टेयर वाके ग्राम खटावदा पटवार मण्डल अनन्तगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम लालाराम आ0 हरनाथ के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर लालू आ0 हरनाथ दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी में प्रार्थी का नाम लालू आ0 हर नाथ दर्ज करने के आदेश प्रदान करने कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/294 दिनांक :–19.03.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम खटावदा के नामान्तकरण संख्या 443 दिनांक 30.09.2002 से जरिए विक्रय पत्र से लालाराम पिता हरनाथ दर्ज रिकॉर्ड है व नामा0 संख्या 602 दिनांक 05.03.2011 से जरिए विक्रय पत्र से लालू पिता हरनाथ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ग्राम खटावदा की भूमि खाता संख्या 54 में दर्ज अपने नाम लालाराम पुत्र हरनाथ के स्थान पर लालू पुत्र हरनाथ शुद्ध करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज खातेदार लालाराम पुत्र हरनाथ व लालू पुत्र हरनाथ एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको लालाराम पुत्र हरनाथ के स्थान पर लालाराम उर्फ लालू पुत्र हरनाथ शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी लालू पिता हरनाथ शुद्ध है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थीगण व जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जनाधार कार्ड पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम लालू पिता हरनाथ दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों सै प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम खटावदा पटवार मण्डल अन्नतगंज के खाता संख्या 54 में दर्ज सहखातेदार लालाराम पुत्र हरनाथ के स्थान पर लालाराम उर्फ लालू पुत्र हरनाथ शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 19.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

19/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446